न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 53 / 2024 दायर दिनांक–16.05.2024

1. विमल कंवर पत्नी देवी सिह
2. विक्रम सिंह पुत्र देवी सिंह जाति राजपूत निवासी देवीपूरा पटवार हल्का चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू

— आवेदकगण

— :: बनाम ::—

1. चांद कंवर पुत्री देवी सिंह।
2. मोनिका कंवर पुत्री देवी सिंह।
3. धीरज कंवर पुत्री विशाल सिंह।
4. शक्ति सिंह पुत्र विशाल सिंह।
5. करणी सिंह पुत्र विशाल सिंह।
6. भवानी सिंह पुत्र विशाल सिंह।
7. त्रिभूवन सिंह पुत्र विशाल सिंह।
8. विशाल सिंह पुत्र हुकम सिंह समस्त जाति–राजपूत, निवासी देवीपूरा, पटवार हल्का चिराना, तहसील–नवलगढ़, जिला–झुन्झुनूं (राज०)।
9. राजस्थान–सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील–नवलगढ़, जिला–झुन्झुनूं (राज०)।
10. कुम्हेर सिंह पुत्र दलिप सिंह।
11. गोपाल सिंह पुत्र रिछपाल सिंह।
12. छोटू सिंह पुत्र हणमान सिंह।
13. नत्थू सिंह पुत्र हणमान सिंह
14. पूजा कंवर पुत्री करणी सिंह।
15. बलवीर सिंह पुत्र भंवर सिंह।
16. भरत सिंह पुत्र दलिप सिंह।
17. भवानी सिंह पुत्र रिछपाल सिंह।
18. यशोद कंवर पुत्री रिछपाल सिंह।
19. रणवीर सिंह पुत्र किशोर सिंह।
20. रतन कंवर पत्नी दलिप सिंह।
21. राज कंवर पत्नी करणी सिंह।
22. लिछमण सिंह पुत्र सवाई सिंह।
23. श्रवण सिंह पुत्र करणी सिंह।
24. शीरे कंवर पत्नी रिछपाल सिंह।
25. सज्जन कंवर पुत्री दलिप सिंह।
26. सज्जन सिंह पुत्र भंवर सिंह समस्त जाति–राजपूत, निवासी देवीपूरा, पटवार हल्का चिराना, तहसील–नवलगढ़, जिला–झुन्झुनूं (राज०)।

—अनावेदकगण

वकील आवेदक : — श्री अमर सिह शेखावत
वकील अनावेदकगण :— श्री विनोद कुमार घुघरवाल

__प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा__

—:: आदेश ::—

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:30:33 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 30.10.2025

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] संक्षि[illegible] विवरण इस प्रकार है कि :— वाके ग्राम देवीपूरा, पटवार हल्का चिरांणा, तहसील–नवलगढ़, जि[illegible]झुंझुनू की सरहद में खाता सं० नया–169 की भूमि ख0नं0 1450 रकबा [illegible] है० भूमि ख0नं0 1451 रकबा 2.0000 हैक्टर तथा भूमि ख0नं0 1452 रकबा 0.9200 हैक्टर भूमि [illegible] कुल ख[illegible]रा–03 कुल रकबा 3.9000 [illegible] भूमि अवस्थित है जो आवेदकगण तथा अनावेदक सं० 01 लगायत 08 की पैतृकि सहदायिक सम्[illegible] भूमि है जो पीढ़ीयों से चली आ रही है उक्त भूमि आवेदकगण तथा अनावेदक सं० 01 लगायत 09 को स्व० हुकम सिंह पुत्र जयसिंह के वारिसान होने के कारण से प्राप्त हुई है जिसमें आवेदकगण तथा अनावेदक सं० 01 लगायत 09 का कब्जा काश्त सामलाती रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है जिसे आगे प्रार्थना पत्र

सहायक कलक्टर एव कायपालक
मजिस्ट्रेट। फास्ट-ट्रेक। नवलगढ़

में वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया जावेगा जिसका राजस्व रिकॉर्ड, जमाबंदी संवत् 2009 से 2075 तक, मिलान क्षेत्रफल आदि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।

उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि में जागीरदारी उल्मुलन के समय से हुकम सिंह पुत्र जयसिंह का सामलाती रूप से 1/4 हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है स्व० हुकम सिंह पुत्र जयसिंह की वंशावली प्रा0 पत्र की मद संख्या 3 अनुसार है।

नोटः–अनावेदक सं० 09 का विवाह जायल जिला–नागौर के देवकंवर से विवाह होने के पश्चात् देवी सिंह तथा धीरज कंवर का जन्म होने के पश्चात् देव कंवर का देहान्त के बाद देव कंवर की छोटी बहिन सायर कंवर से अनावेदक सं० 08 ने दूसरा विवाह किया जिससे शक्ति सिंह, करणी सिंह, भवानी सिंह तथा त्रिभूवन सिंह पैदा हुए। देवी सिंह पुत्र विशाल सिंह का देहान्त लगभग 28 वर्ष पूर्व हो चुका है।

उपरोक्त वादग्रस्त पैतृकि सहदायिक सम्पति की भूमि में उपरोक्त वंशावली के अनुसार वादीया सं० 01 का 1/112 हिस्सा, वादी सं० 02 का 1/112 हिस्सा. प्र.सं. 01 का 1/112 हिस्सा, प्र.सं. 02 का 1/112 हिस्सा, प्र.सं. 03 का 1/28 हिस्सा, अनावेदक सं० 04 का 1/28 हिस्सा, अनावेदक सं० 05 का 1/28 हिस्सा, अनावेदक सं० 06 का 1/28 हिस्सा, अनावेदक सं० 07 का 1/28 हिस्सा तथा अनावेदक सं० 08 का 1/28 हिस्से की भूमि पर लगातार बिना किसी बाधा के सामलाती रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी कब्जा काश्त करते चले आ रहे है तथा मौके पर काबिज है, आवेदकगण तथा अनावेदक सं० 01 लगायत 02 के पिता स्व0 देवी सिंह का 1/28 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने के कारण से तथा हुकम सिंह का सम्पूर्ण 1/4 हिस्सा अनावेदक सं० 08 के अकेले के नाम वादग्रस्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड गलत रूप से बने होने के कारण से आवेदकगण को पैतृकि सहायिक सम्पति की उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि से वंचित करने पर आमादा है हालांकि हिन्दू उत्तराधिकार अधि० के तहत स्व० हुकम सिंह पुत्र जयसिंह के विधिक वारिसान होने के कारण से आवेदकगण को उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही हक हकूक प्राप्त है। गलत राजस्व रिकॉर्ड के बने रहने से आवेदकगण के वैद्य हक हकूक तथा हिस्से की भूमि पर किसी भी प्रकार से विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है, ना ही कानूनन आवेदकगण को वैद्य हकध्हकूक तथा हिस्से की वादग्रस्त भूमि से वंचित किया जा सकता है ना ही गलत बने राजस्व रिकॉर्ड केरहने से किसी भी को भी वैद्य अधिकार प्रदान नहीं होते है न ही गलत बने राजस्व रिकॉर्ड की आड़ में कानूनन आवेदकगण तथा अनावेदक सं० 01 लगायत 02 को हक हकूक से वंचित किया जा सकता है लेकिन गलत बने राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी के रहने से आवेदकगण को सख्त हकतलफी पैदा हो रही है, गलत बने राजस्व रिकॉर्ड के बने रहने से भविष्य में गम्भीर वाद–विवाद पैदा होने की सम्भावना बनी रहेगी। इसलिए आवेदकगण के द्वारा प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।

आवेदकगण तथा अनावेदक सं० 01 लगायत 02 के पिता देवी सिंह पुत्र विशाल सिंह भोला–भाला, अनपढ़ ग्रामीण व्यक्ति होने के कारण से भूमि से सम्बन्धित राजस्व रिकॉर्ड की बारिकियों के सम्बन्ध में जानकारी नहीं होने के कारण से आज तक अनावेदक सं० 08 के अकेले के नाम गलत राजस्व रिकॉर्ड चला आ रहे जिसके कारण स्व० हुकम सिंह के वारिसान आवेदकगण तथा अनावेदक सं० 01 लगायत 02 अपनी पैत्रिक कब्जे काश्त की भूमि पर मिलने वाली सरकारी किसान योजनाओं का लाभ लेने के लिए हल्का पटवारी से दिनांक 17/04/2024 को मिलने पर बताया कि तुम्हारी सामलाती कब्जे काश्त की सम्पूर्ण भूमि ख0नं0 1450 रकबा 1.0600 है०, भूमि ख0नं0 1451 रकबा 2.0000 हैक्टर तथा भूमि ख०नं० 1452 रकबा 0.9200 हैक्टर भूमि अनावेदक सं० 08 अकेले के नाम गलत दर्ज होने के कारण से दिनांक 18.04.2024 को आवेदकगण ने अनावेदक सं० 08 को वादग्रस्त भूमि का गलत बना राजस्व रिकॉर्ड वंशावली के अनुसार दुरूस्त करवाने की कहने पर अनावेदक सं० 08 के द्वारा साफ–साफ इन्कार करते हुए कहा कि जल्द ही पैतृकि सहदायिक सम्पति की वादग्रस्त भूमि वंचित करने के लिए अजनबी केता को विक्रय कर रहा हूँ जिससे व्यथीत होकरआवेदकगण को न्यायालय की शरण में आना पड़ा ताकि वादग्रस्त भूमि ख०नं0 1450 रकबा 1.0600 है०. भूमि ख०नं० 1451 रकबा 2. 0000 हैक्टर तथा भूमि खनं० 1452 रकबा 0.9200 हैक्टर भूमि में आवेदकगण को 1/50 हिस्सा का सामलाती [illegible] काश्तकार घोषित करवाने हेतु प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:30:33 IST
Reason: SelfAttested

अनावेदक सं. 08 की नियत में फर्क आ गया, आवेदकगण को गलत राजस्व रिकॉर्ड की आड़ में उसके वैद्य अधिकारो से किसी भी क्षण वंचित कर सकते है, यदि अनावेदक सं० 08 अपनी नाजायज मंशा मे सफल हो गया तो आवेदकगण का वाद करना व्यर्थ हो जायेगा, साथ ही साथ अपने अधिकारो से वंचित होना पड़ेगा, जिससे व्यर्थ की मुकदमे बाजी में फंसना होगा, साथ ही साथ आर्थिक नुकशान इतना अधिक होगा, जिसकी पूर्ति किसी भी तरह से संभव नहीं होगी, मानसिक पीड़ा अलग भुगतनी पड़ेगी, आवेदकगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला है, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति भी आवेदकगण के पक्ष मे है, इसलिये अनावेदक सं० 08 को स्थायी निषेधाज्ञा की डिग्री से पाबन्द किया जावें कि उपरोक्त वर्णित पैतृकि

सहायक कलेक्टर एव कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-टेक) नवलगढ़

सहा[illegible]क सम्पति की वादग्रस्त भूमि में आवेदकगण के सामलाती कब्जे काश्त की 1/56 हिस्से की भूमि में न तो स्वयं दखन्दाजी पैदा करें, न ही अन्य किसी से करावें, ना ही गलत राजस्व रिकॉर्ड की आड़ में न तो स्वयं परिवर्तन करे, न ही अन्य किसी से ऐसा करवाये, ना ही किसी विशेष भू–भाग पर कच्चा ६ पक्का निर्माण करें, ना ही कब्जे काश्त में बाधा स्वयं उत्पन्न करें, ना ही अन्य किसी से करावें, ना ही अन्य किसी को विकय करे, मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखेयह कि अन्य उजात वरवक्त बहस अर्ज किये जावेगे।

अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला दावा अनावेदक सं० 08 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वाके ग्राम देवीपूरा, पटवार हल्का चिरांणा, तहसील–नवलगढ़, जिला–झुन्झुनूं की सदहद में खाता सं० नया 169 की भूमि ख0नं0 1450 रकबा 1.0600 है०, भूमि ख0नं0 1451 रकबा 2.0000 हैक्टर तथा भूमि ख0नं0 1452 रकबा 0.9200 हैक्टर भूमि यानी कुल खाता–01 कुल खसरा–03 कुल रकबा 3.9800 हैक्टर भूमि के कब्जे काश्त में तथा गलत राजस्व रिकॉर्ड की आड़ में किसी भी प्रकार की बाधा अनावेदक सं० 08 न तो स्वयं उत्पन्न करें, किसी भी प्रकार की बाधा अनावेदक सं० 08 न तो स्वयं उत्पन्न करें, न ही अन्य किसी से करावें, ना ही किसी को किसी भी तरीके से अन्तरण करें। शांतिपूर्वक उपभोग–उपयोग करने देंवे। मौके तथा रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदकगण जारी की गई। अनावेदक संख्या 08 की ओर से वकील श्री विनोद कुमार घुघरवाल उपस्थित न्यायालय आये तथा आवेदक ने आवेदक के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने के निवेदन कि साथ जवाब प्रार्थना पत्र बिन्दुवार इस प्रकार पेश किया कि :– प्रर्थना पत्र की मद न० 01 में अंकित तथ्य राजस्व अभिलेखानुसार स्वीकार है. शेष तथ्य मद हाजा मिथ्या व मनधडन्त होने से अस्वीकार है वादग्रस्त भूमि पर अनावेदक न० 08 ही तनहा रूप से काबीज खातेदार कास्तकार है।

प्रर्थना पत्र की मद न० 02 सजरा खानदान बाबत् होने से स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद न० 03 जिस प्रकार अंकित है मिथ्या व मनघडन्त होने से अस्वीकार है खुलासा जबाब विशेष कथन में अंकित है।

प्रार्थना पत्र की मद न० 04 जिस प्रकार अंकित है मिथ्या व मनघडन्त होने से अस्वीकार है खुलास जबाब विशेष कथन में अंकित है।

प्रार्थना पत्र की मद न० 05 जिस प्रकार अंकित है मिथ्या व मनघडन्त होने से अस्वीकार है खुलास जबाब विशेष कथन में अंकित है।

प्रार्थना पत्र की मद न० 06 जिस प्रकार अंकित की गई है पूर्णतया मिथ्या अंकित की गई है प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब उत्पन्न करने हेतू वाद कुसंयोजन किया गया है।

प्रर्थना पत्र की मद न० 08 कानूनी होने से जबाब मोहताज नहीं है।

विशेष कथन

आवेदकगण द्वारा प्रर्थना पत्र की मद न० 03 जिस प्रकार वर्णित की गई है मिथ्या व मनधडन्त होने से अस्वीकार है। अनावेदक न० 08 उत्तरदाता स्व० हुकुम सिंह पुत्र श्री जयसिंह के विधिक वारिस होने के कारण हुकुम सिंह की मृत्यु के उपरान्त विरासत से अनावेदक न० 08/उत्तरदाता के नाम से रास्जव अभिलेख में नियमानुसार नाम अंकित हुआ है एवं अनावेदक न० 08 उत्तरदाता तब से आज दिनांक तन्हा रूप से काबीज खातेदार कास्तकार है व बिना किसी बाधा के बैरोक टोक कास्त करते चले आ रहे है। आवेदकगण व अनावेदक 1व 2 अनावेदक न० 08/उत्तरदाता से पारिवारीक रंजिश रखने वालो के प्रभाव में उन्ही लोगो की मंशा के अनुरूप अनावेदक न० 08/उत्तरदाता की प्रतिष्ठा को गाँव, समाज व परिवार में धुमिल करने का कुन्ठित प्रयास मात्र है। अनावेदक न० 08/उत्तरदाता ने कभी भी आवेदकगण व अनावेदक 1व 2 के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया[illegible] न ही अना[illegible] 08/उत्तरदाता के मन में इनके प्रति दुर्भावना है। अनावेदक न० 08/उत्तरदाता ने ही वर्ष 2[illegible] अना[illegible] 1व 2 का विवाह अपने हाथो से आवेदक न० 01 की इच्छा अनुसार प्रतिष्ठित परिवार में की [illegible] जिसका समस्त खर्चा अनावेदक न० 08/उत्तरदाता ने ही वहन किया। अना[illegible] आवेदकगण व अनावेदक न० 1 व 2 के प्रति सद्भाविक थी ओर आज भी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:30:33 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र की मद न० 04 मिथ्या व मनघडन्त होने से अस्वीकार है आवेदकगण का यह कहना की उन्के पिता/पति स्व० देवीसिंह अनपढ़ व्यक्ति थे पूर्णतया मिथ्या है स्व० देवीसिंह ने उस समय में उनकी ईच्छानुसार अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। जहा तक राजस्व रिकॉर्ड में अनावेदक न० 08/उत्तरदाता

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, (पोस्ट-टेक) नवलगढ़

का नाम अंकित होने की बात है वह विरासत में राजस्व नियमानुसार ही अनावेदक न० 08ध्उत्तरदाता के नाम से चला आ रहा है। आवेदकगण द्वारा कभी भी अनावेदक न० 08/उत्तरदाता से उक्त वादग्रस्त भूमि बाबत् अपनी मंशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कभी जाहीर नहीं की जहा तक 17.04.2024 को मिलने की बात है मिथ्या अंकित है आवेदकगण पिछले लगभग 07–08 वर्षों से अपनी सोहलियत व ईच्छानुसार जयपुर निवास कर रहे है व अनावेदक न० 08/उत्तरदाता द्वारा उनकी आवश्यकता की पूर्ति बतोर सरक्षंक करता आ रहा है।

प्रार्थना पत्र की मद न० 04 मिथ्या व मनघडन्त होने से अस्वीकार है। अनावेदक 08/उत्तरदाता की भावना आज भी आवेदकगण व अनावेदक न० 01 व 02 के प्रति सदभाविक है व किसी प्रकार कि दुर्भावना नही है। अनावेदक न० 08/उत्तरदाता से पारिवारीक रंजिश रखने वाले लोगो के बहकावे में आकर यह वाद पत्र पेश किया गया है जो सारहीन है। यह। यह भी निवेदन है कि अनावेदक 08/उत्तरदाता रिकार्डेड खातेदार को किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा से कानूनन पाबन्द कराने के अधिकारी नही है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदकगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज फरमाया जावे।

जबाबदेही पेश होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों अप्रार्थी ने जबाब के तथ्यों को दोहराया। पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु तय करना अनिवार्य है। अतः सर्वप्रथम इन तीन बिन्दुओं को तय करना उचित है :–

1. प्रथम दृष्टया मामला
2. सुविधा का संतुलन
3. अपूरणीय क्षति

- **प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन :– दोनों बिन्दुओ का एक साथ विवेचन किया जा रहा है।** ग्राम कारी की सरहद में जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 के ग्राम देवीपूरा, पटवार हल्का चिरांणा, तहसील–नवलगढ़, जिला–झुन्झुनूं की सदहद में खाता सं० नया 169 की भूमि ख0नं0 1450 रकबा 1.0600 है०, भूमि ख0नं0 1451 रकबा 2.0000 हैक्टर तथा भूमि ख0नं0 1452 रकबा 0.9200 हैक्टर भूमि यानी कुल खाता–01 कुल खसरा–03 कुल रकबा 3.9800 हैक्टर अवस्थित है, उक्त भूमि शामलाती तथा पैतृक संपति है जिसमें वकील अनावेदक ने आवेदकगण का उक्त भूमि का उत्तराधिकारी होने से इन्कार नही किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से भूमि पैतृक होना साबित है जिसमें प्रार्थीगण का हक हिस्सा तय होना है। जहां विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य हो वहां रिकोर्डेड काश्तकार के विरूद्व भी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। अगर उक्त पैतृक आराजी खुर्द बुर्द हो जाती है तो वाद बहुलता होगी तथा आवेदकगण को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः सुविधा का संतुलन व प्रथम दृष्टया मामला आवेदकगण के पक्ष में है।
- **अपूरणीय क्षति :–** उपरोक्त दोनो बिन्दु आवेदकगण के पक्ष में होने से तथा आवेकदगण विवादग्रस्त भूमि में आवेदकगण के कब्जे काश्त में होने से अपूरणीय क्षति आवेदकगण के पक्ष मे है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवेदक का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम देवीपूरा, पटवार हल्का चिरांणा, तहसील–नवलगढ़, जिला–झुन्झुनूं की सदहद में खाता सं० नया 169 की भूमि ख0नं0 1450 रकबा 1.0600 है०, भूमि ख0नं0 1451 रकबा 2.0000 हैक्टर तथा भूमि ख0नं0 1452 रकबा 0.9200 हैक्टर भूमि यानी कुल खाता–01 कुल खसरा–03 कुल रकबा 3.9800 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाई रखने बाबा निर्णय अस्थाई निषेधाज्ञा अंतरिम आदेश दिनांक 22.05.2024 को पुष्ट किया जाता है। उक्त आदेश अनावेदक सं0 8 विशाल सिंह पुत्र हुकुम सिंह को छुट प्रदान की जाती है। पत्रावली फैसले सुमार हो नम्बर से कम हो मूल वाद के संलग्न रहे। निर्णय आज दिनांक 30.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:30:33 IST
Reason: SelfAttested

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ